	राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	जिल्द 76 फाल्गुन 15, गुरुवार, शाके 1946–मार्च 06, 2025 अंक 49 Vol. 76 Phalguna 15, Thursday, Saka 1946–March 06, 2025 No. 49	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

अधिसूचना

भरतपुर, फरवरी 20, 2025

(तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण भरतपुर अनुज्ञप्ति शुल्क नियम 2025)

फाइल नं0 – 17345 :-राजस्थान सरकार, स्वायत शासन विभाग के परिपत्र क्रंमाक प. 8 (ग)) नियम/डीएलबी/17/720 दिनांक 04.01.2018 में प्रदान निर्देशो के अनुक्रम में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 105 सपठित धारा 339 (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, भरतपुर (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण) अनुज्ञप्ति शुल्क नियम, 2025 प्रस्तावित करती है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण) अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम, भरतपुर द्वारा किसी भी प्रकार का पंजीयन/अनुमति/अनुज्ञा जारी नही की जा रही है। चूंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार नगर निगम, भरतपुर क्षेत्र में खतरनाक एवं आक्रामक व्यापारों एवं उद्योगों को अनुज्ञप्ति देना नगर निगम का एक आज्ञापक कार्य है तथा नगर निगम, भरतपुर एक स्वविŸा पोषित संस्थान है तथा विभिन्न विकास कार्यों के लिए आय का एक मात्र साधन उदगृहित किया जाने वाला राजस्व है। इस राजस्व उदगृहण में नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न कार्यो हेतु लाईसेन्स देने के बदले लिये जाने वाला राजस्व है। इस राजस्व उदगृहण में नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न कार्यो हेतु लाईसेन्स देने के बदले लिए जाने वाले अनुज्ञप्ति शुल्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के तहत (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण) अनुज्ञप्ति शुल्क की भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चूंकि तम्बाकू उत्पादो का विक्रय काफी मात्रा में होता है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 105 सपठित धारा 339 (ख) के द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए नगर निगम, भरतपुर एतद् द्वारा नगर निगम, भरतपुर (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण) अनुज्ञप्ति नियम 2025 निम्न नियम बनाता है अर्थातः-

1- संक्षिप्त नाम आरम्भ और विस्तारः-

1.ये नियम नगर निगम, भरतपुर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण नियम 2025 कहलायेगें।

2.ये नियम नगर निगम, भरतपुर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावशाली होंगें।

3.ये नियम राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशाली होगें।

2-परिभाषाएेः- जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न आती हो इन नियमों के प्रयोजनार्थ निम्नाकिंत शब्दों की परिभाषाएँ निम्न प्रकार व्यवहत रहेगी। निम्नांकित शब्दों के अतिरिक्त इन नियमों में प्रमुख शब्दों की परिभाषा वही होगी, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में परिभाषित हैः-

1.अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से है।

2.समिति से तात्पर्य नगर निगम, भरतपुर द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अंतर्गत गठित लाईसेन्स समिति से है।

3.स्थानीय निकाय से तात्पर्य नगर निगम, भरतपुर से है।

4.अध्यक्ष से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 2009 के आधार पर नगर निगम महापौर/प्रशासक से हैं।

5.कार्यपालक अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम, भरतपुर के आयुक्त से है जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल है।

6.अनुज्ञापत्र से तात्पर्य इन नियमों के अंतर्गत प्रपत्र (ख) में प्रदान किया जाने वाले या किये गये अनुज्ञापत्र से है।

7.उपयोग व उपभोग अनुमति से तात्पर्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्रि हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण हेतु नगर निगम, भरतपुर द्वारा इन नियमों के अंतर्गत दी जाने वाली अनुमति से है।

8.अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्राय इन नियमों के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों की बिक्रि हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण अनुज्ञप्ति शुल्क देते हुए पंजीयन करवाकर अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्तियो से अभिप्रेत है। इसमें उनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक भी सम्मलित है।

9.प्राधिकृत प्राधिकारी से तात्पर्य नगर निगम, भरतपुर के आयुक्त से है जो अनुज्ञापन अधिकारी भी होगा।

10.पत्र से तात्पर्य इन उपनियमों के साथ संलग्न प्रपत्रों से है।

11.तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद से तात्पर्य सिगरेट, गुटखा, बीडी, ई-सिगरेट, हुक्का, खेनी, चीलम, सिगार एवं अन्य उत्पाद जिसमें तम्बाकू एवं निकोटिन की उपलब्धता एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम (विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का नियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा), किशोर न्याय (बच्चो का संरक्षण एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 में उल्लेखित समस्त प्रदार्थों से है।

12.अस्थाई दुकान से अभिप्राय है ऐसी अस्थाई संरचना जिसमें कच्ची चार दीवार व एक दरवाजा एवं छत हो तथा जिसका निर्माण लकड़ी/इस्पात की चद्दरों या ऐसी किसी वस्तु द्वारा किया गया हो अर्थात्त अस्थाई तौर पर निर्मित स्थान जैसे कियोस्क, बूथ, टपरी, एवं लकड़ी का खोखा इत्यादि नामों से जाना जाता है।

13.स्थाई संरचना से अभिप्राय है ऐसी स्थाई संरचना/ढांचा निर्माण जिसमें पक्की चारदीवारी, छत एवं एक दरवाजा हो जैसे सीमेंट, आर.सी.सी इत्यादि से निर्मित संरचना।

14.फूटकर व्यवसाई/व्यापारी विक्रेता से तात्पर्य छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते है, उन्हें फुटकर विक्रेता कहते है। पैदल चलकर सामान बेचने वाले फेरीवाले एक दाम की दुकान, परचून की दुकान चलाने वाले सभी फुटकर व्यापारी/व्यवसायी विक्रेता है।

15.थोक विक्रेता से तात्पर्य ऐसे समस्त विक्रेताओं से है जो सीधे ही माल निर्माता से या उत्पादक से बहुतायत में खरीदता है तथा फुटकर व्यवसायी व्यापारी विक्रेता को विक्रय करता है।

जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किए गए हैं उनके संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में दी गई परिभाषाएं लागू होती है।

3- निषेधः- नगर निगम, भरतपुर की सीमा में कोई भी व्यक्ति संस्थान इत्यादि बिना नगर निगम की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण एवं उत्पादों का विपणन नहीं कर सकेगा। बिना पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण एवं विपणन करने वाले व्यक्ति या संस्थान के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 तथा उक्त नियमों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु नगर निगम भरतपुर स्वतंत्र होगा।

4- अनुज्ञा प्राधिकारी की नियुक्तिः इन नियमों के प्रयोजनार्थ आयुक्त नगर निगम, भरतपुर अनुज्ञा प्राधिकारी होंगें।

5 अनुज्ञा-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र एवं योग्यताः

1.कोई भी व्यक्ति/संस्था/ कम्पनी जो तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन नियम के तहत किसी दुकान/संस्था/कम्पनी को प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है, वह प्रपत्र-1 में, जो नगर निगम, भरतपुर से 50 रूपयें मूल्य पर प्राप्त होगा, प्रार्थना-पत्र अनुज्ञाप्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ, प्रस्तावित स्थल का दो प्रतियों में मानचित्र, फोटो तथा अपने स्वामित्व/किरायेदारी से संबधित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा। अथवा नगर निगम, भरतपुर सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेणिंडग नीति के अन्तर्गत जारी प्रमाण-पत्र की प्रति।

2.प्रपत्र (क) में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञाधिकारी, प्रस्तावित स्थल का का निरीक्षण करेगा तथा अपने आपकों इस बात के लिए आश्वस्त करेगा कि प्रस्तावित स्थल तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण एवं विपणन के प्रयोजनार्थ हर प्रकार से उपयुक्त है, तथा उससे किसी प्रकार का जन अनुवास, जन असुविधा या जन उत्पीडन नही होगा।

3.प्रपत्र (ख) में अनुज्ञा प्राधिकारी के आश्वस्त हो जाने पर वह अनुज्ञार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करायें जाने का आदेश देगा तथा अनुज्ञार्थी द्वारा ऐसा निर्धारित शुल्क जमा करा दिये जाने पर प्रपत्र (ख) में अनुज्ञा-पत्र जारी करेगा।

4.अनुज्ञा प्राधिकारी प्रपत्र (क) के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के 60 दिवस में तथा प्रपत्र (ख) के अनुसार स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के लिए यदि अनुपयुक्त हो तो, वह लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए प्रार्थना पत्र को 60 दिवस में निर्णीत करेगा अथवा जो कमी हो उन्हें निर्दिष्ट समयावधि (15 दिवस से अधिक नहीं) में पूर्ति हेतु अनुज्ञार्थी को सूचित करेगा। यदि निर्दिष्ट समयावधि में अनुज्ञार्थी द्वारा कमियों को दूर नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा परंतु यदि प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 60 दिवस में निर्णीत नहीं किया जाता है तो प्रपत्र (क) में प्राप्त प्रार्थना पर स्वतः स्वीकार मान्य किया जायेगा। लेकिन उक्त स्थिति में अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो इन नियमों में वर्णित प्रावधानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

6.तम्बाकू वेंडर के लिये योग्यताः-

- वह भारत का नागरिक हों।
- आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससें अधिक होना अनिवार्य है।
- आवेदक के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है, निगम से बाहर का आधार कार्ड होने के स्थिति में स्थानीय पार्षद या सम्बन्धित वार्ड का सफाई निरीक्षक से सत्यापन आवश्यक होगा।
- आवेदनकर्ता की तम्बाकू उत्पादों की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 वर्ग मीटर की परिधि में नहीं होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी अथवा नगर निगम, भरतपुर सीमा के अंतर्गत स्ट्रीट वेणिंडग नीति के अतंर्गत अस्थायी दुकान भी हो सकती है।
- सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण का नियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा) किशोर न्याय (बच्चो का संरक्षण एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 आदि अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधान भी तथा इन समस्त अधिनियमों में समय-समय पर संशोधन उपरांत जारी निर्देश भी आवेदनकर्ता पर अनिवार्य रूप से लागू होगें।

7. अनुज्ञा-पत्र की अवधिः- इन नियमों के अधीन जारी प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र की अवधि एक वितीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होगी।

8.अनुज्ञा-पत्र का पंजीकरण एवं नवीनीकरण: तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीयन एक वर्ष के लिये मान्य होगा, तत्पश्चात लाईसेन्स का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन एवं नवीनीकरण स्ट्रीट वेंडिग नीति के अन्तर्गत होगा जो कि सारणी निम्नानुसार हैः-

क्र.स.	श्रेणी	पंजीयन शुल्क	वार्षिकअनुमति शुल्क
1	अस्थायी दुकानें	100	1200
2	फुटपाथ पर गुमटी/खोखा/कियोस्क इत्यादि	200	2400
3	फुटकर स्थायी दुकाने	500	4800

4	थोक विक्रेता	1000	25000

1.उपरोक्त पंजीयन का प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात पुनः पंजीयन शुल्क पृथक से जमा आगामी 3 वर्ष के लिए करवाना होगा, परंतु अनुमति शुल्क प्रतिवर्ष पृथक से नवीनीकरण पर जमा करवाना अनिवार्य होगा।

2.प्रत्येक अनुज्ञाधिकारी को वार्षिक अनुमति शुल्क अनुज्ञा-पत्र अनुमति पत्र की अवधि समाप्त होने पर आगामी वितीय वर्ष हेतु 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक जमा कराकर अनुमति पत्र/अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण करवा सकेंगा, इसके पश्चात 500/- प्रति माह अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

3.नगर निगम, भरतपुर को उपरोक्त नियमों में उल्लेखित समस्त प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण हेतु निर्धारित शुल्क में प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात 10ः (प्रतिशत) वृद्धि करने का अधिकार होगा।

9. तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालनः-

पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओ को निम्नलिखित का अनुपालन करना अनिवार्य होगाः-

1. शैक्षणिक संस्थानो के 100 मीटर की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नही की जावेगी।

2.तम्बाकू विक्रेता द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति, एवं वितरण का नियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा) की धारा 5 के अंतर्गत साईनेज लगाना अनिवार्य होगा।

3.तम्बाकू विक्रेता द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, एवं वितरण का नियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा) की धारा 7 अनुसार वैधानिक चेतावनी उल्लेखित किये गए समस्त तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

4.तम्बाकू विक्रेता सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, एवं वितरण का नियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा) की धारा 6 (अ) के अनुसार किसी नाबालिग को तम्बाकू उत्पाद की न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की जायेगी।

5.दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

10. अनुज्ञा-पत्र अहस्तान्तरणीय होगाः-

1.इन नियमों के अंतर्गत जारी किया गया कोई भी अनुज्ञा पत्र जिस स्थान व व्यक्ति संस्था के लिए अथवा जिस कार्य के लिए स्वीकार किया जावेगा उसमें किसी प्रकार परिवर्तन नही हो सकेगा तथा अनुज्ञा-पत्र अहस्तान्तरणीय होगा।

2.प्रत्येक अनुज्ञाधिकारी अनुज्ञा-पत्र को अपने वाणिज्यिक स्थान पर कांच के फ्रेम में लगाकर सहज दृष्टव्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

11. अनुज्ञा-पत्र का निलबंन या निस्तीकरणः-

1.कोई भी अनुज्ञा-पत्र जन सुरक्षा अथवा जन स्वास्थ्य के आधार पर अथवा अनुज्ञाधिकारी द्वारा इन नियमों में प्रतिबंधों व शर्तो के उल्लघन किये जाने पर अनुज्ञा प्रधिकारी द्वारा निलंबित या निरस्त किया जा सकेगा।

2.प्रपत्र (ख) में अनुज्ञा-पत्र के निरस्तीकरण से पूर्व, अनुज्ञाधारी को एतदर्थ कारण बताने का यथोचित अवसर प्रदान किया जावेगा।

3.प्रपत्र (ख) में अनुज्ञा-पत्र का निलम्बन या निरस्तीकरण किये जाने के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी को इन उपनियमों के अंतर्गत अभियोजित भी किया जा सकेगा।

12. अनुज्ञा-पत्र की सामान्य शर्तेः- इन नियामों के अंतर्गत प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जावेगाः-

1.अनुज्ञा-पत्रधारी को नगर निगम, भरतपुर में प्रस्तावित स्थल के सबंध में बकाया लीज व अन्य कर की जमा की रसीदें आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

2.अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्रित क्षेत्र को सदैव स्वच्छ रखेगा।

3.अनुज्ञापत्रित स्थान पर एकत्रित होने वाले कूडे करकट को निर्धारित स्थान पर अथवा नगर निगम के संवाहक को सूखा व गीला पृथक-पृथक कर सुपुर्द करेगा तथा प्रतिदिन ऐसे पात्र को स्वच्छ रखेगा।

4.अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने से अनुज्ञाधारी को स्वामित्व के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगें। यह मात्र जीविकोपार्जन हेतु अस्थाई व्यवस्था रहेगी।

5.अनुज्ञापत्रित स्थान हेतु फायर अनापति प्रमाण पत्र, नगर निगम फायर शाखा से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर प्राप्त करने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा (यदि लागू हो तो)।

6.अनुज्ञापत्रित स्थान के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था अनुज्ञाधारी को स्वयं के स्तर पर नियमानुसार करानी आवश्यक होगी।

7.इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित अन्य शर्तों की पालना अनुज्ञाधारी को करनी आवश्यक होगी।

8.एक व्यक्ति, एक लाईसेन्स की प्रक्रिया अपनायी जायेंगी/एक लाईसेन्स एक दुकान के लिये ही मान्य होगा अर्थात दिया गया लाईसेन्स अहस्तान्तरणीय होगा।

9.किन्ही परिस्थितियों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद, अथना अन्य विभागों द्वारा जारी नियम/ कानून/अधिनियम में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन होने पर अथवा उसके दिशा-निर्देशों का अनुपालन, पंजीकृत दुकानदारों द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

10.तम्बाकू उत्पाद की बिक्री हेतु देय लाईसेन्स के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाईसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दी जावेगी। लाईसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम, भरतपुरद्वारा निलंबन की कार्यवाही की जावेगी। फिर भी उल्लंघन जारी

रखने की दशा में लाईसेन्स रद्द किया जा सकता है तथा दुकान को परिषद को निर्धारित अवधि के लिए सीज भी किया जा सकेगा। एक बाद लाईसेनस रद्द होने पर दुबारा लाईसेन्स देने पर विचार नहीं किया जावेगा।

11.तम्बाकू या तम्बाकू उत्पाद की बिक्री लाईसेन्स धारक के अतिरिक्त कोई भी कॉमर्शियल मॉल, थोक व्यापारी द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नही की जायेगी। इसमें वे दुकाने भी सम्मलित होगी जो गुमटी लगाते हैं उक्त का उल्लंघन होने पर नगर निगम द्वारा पर प्रथम बार रूपये 2000 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रूपये 5000 व सामग्री जब्त, तीसरी बार रूपये 10000 व सामग्री जब्त करने के साथ-साथ लाईसेंस रद्द किया जा सकेगा एवं प्राथमिकी भी दर्ज करवाई जावेगी। जिस पंजीकृत फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी द्वारा इन नियमों के अंतर्गत तम्बाकू उत्पाद विक्रय विपणन, प्रसंस्करण, उत्पादन आदि किया जाता है, उनके द्वारा बच्चों को तम्बाकू उत्पादों से सुरक्षित रखने के लिए बच्चो द्वारा खाये जाने वाले किसी गैर तम्बाकू उत्पाद जैसा की टॉफी, टॉफी कैण्डी, चिप्स, बिस्किट, एवं शीतल पेय उत्पाद इत्यादि सहित अन्य खाद्य पदार्थ विक्रय नहीं किये जावेगे।

12.लाईसेन्स धारक विक्रेता, केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों, जिन पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अंतर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

13. अनुज्ञापित स्थान की जांच एवं निरीक्षणः-

1.अनुज्ञाधारी वाणिज्यिक भवन में एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जो आयुक्त अथवा नगर निगम, भरतपुर द्वारा प्राधिकारी के निरीक्षणार्थ सदैव खुली होगी।

2.अनुज्ञाधिकारी/अनुज्ञाप्राधिकारी या अन्य अधिकारी जिसका कार्यपालक अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है. वह उक्त निरीक्षण पुस्तिका का निरीक्षण करने के उपरांत किये गये निरीक्षण कार्य की रिपोर्ट अनुज्ञाप्राधिकारी को देंगें, जो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा। निरीक्षण रिपोर्ट को एतदर्थ रखी गई निरीक्षण पुस्तिका में भी अंकित किया जावेगा। अनुज्ञाधारी, निरीक्षण के समय उक्त प्राधिकारियों को निरीक्षण हेतु अपेक्षित सभी सुविधाएँ प्रदान करेंगा।

3.अनुज्ञाधिकारी, नगर निगम, भरतपुर द्वारा प्राधिकृत अनुज्ञाधिकारी/अनुज्ञाप्राधिकारी निरीक्षक या अन्य अधिकारी या जिस ब्रांड मानव उपयोग के लिये अनुचित हो स्वयं हटाने या उन्हे हटवाने के अतिरिक्त अनुज्ञाधिकारी के विरूद्ध नियमों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रस्तुत किये जाने की अभिशंषा किये जाने के लिए सक्षम होगा।

4.आयुक्त, अनुज्ञाप्राधिकारी अथवा नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात आश्वस्त हो या अनुज्ञाप्राधिकारी के पास निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर व संतुष्ट हो कि अनुज्ञाधारी उनकी अभियोजित किये जाने की की अपेक्षा उक्त प्राधिकारी ऐसे निर्देश दे सकेंगें जो नियमों के अनुपालन हेतु आवश्यक हो तथा अनुज्ञाधारी द्वारा दिये गये ऐसे निर्देश का पालन तत्काल किया जावेगा।

14. अनुज्ञा प्राधिकारी/अनुज्ञा अधिकारी द्वारा निर्देश आदिः-

1.इन नियमों में किसी बात के न होत हुए भी अनुज्ञा प्राधिकारी, नियमों की भली प्रकार पालना किये जाने के यथोचित आदेश व निर्देश प्रसारित करने हेतु सक्षम होगा तथा स्वामी या अनुज्ञाधारी द्वारा उनका तत्काल पालन किया जावेगा।

2.विशेष असाधारण परिस्थितियों में जिनको अभिलिखित में किया जावेगा तथा जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उपयुक्त कारण होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा नियमों में निर्धारित शर्तों में कमी या वृद्धि की जा सकेंगी।

3.इन नियमों की क्रियान्वित का उतरदायित्व अनुज्ञाप्राधिकारी का होगा।

15. शक्तियां-इन नियमों में किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को उसके दोषी ठहरायें जाने पर दण्डनायक द्वारा उसके प्रथम दोष के लिए ऐसी शक्ति जो 5000 रूपये से अधिक हो, भागी बना देगा और उसके पश्चात प्रत्येक अनुवर्ती दोष के लिए प्रतिदिवस 100 रूपये तक के अर्थ दण्ड के लिए दायी होगा। तम्बाकू उत्पाद (प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पाद, आपूर्ति तथा वितरण का नियमन) अधिनियम ३ (कोटपा) की धारा 20. धारा 22, धारा 24 एवं किशोर न्याय (बच्चो का संरक्षण एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 की धारा 77 के अनुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा जिला कलेक्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट कार्यालय में की जावेगी।

16. अभियोजन:- नगर निगम, भरतपुर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो राजस्व निरीक्षक के कनिष्ठ पद का नहीं होगा, तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन इत्यादि का निरीक्षण कर सकेंगा। यदि उपयोग व उपभोग में निर्देशित शर्तों, नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 3 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्त कर्ता को सूचित किया जावेगा, यदि नियम अवधि में अनुमति प्राप्तकर्ता पालना नही करता है तो अनुमति पत्र अविलम्ब निरस्त किया जाकर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन इत्यादि सम्पति को सीज किया जाकर दोषी व्यक्ति, संस्था या कम्पनी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।

17. समझौता:- न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित समिति या नगर निगम द्वारा प्राधिकृत समिति/अधिकारी को होगा।

18. नियमों का उल्लंघन:- इन नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10,000 रूपयें का अर्थदण्ड दिया जाकर नियम 14 के अतंर्गत कार्यवाही अनुमति प्राप्तकर्ता कें विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

19. अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवाना: अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर निगम, भरतपुर के कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

20. अपील:- नियमों की किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर संस्थान को सीज करने का अधिकार अनुज्ञप्ति अधिकारी को होगा एवं इसकी अपील 30 दिवस में महापौर/प्रशासक नगर निगम, भरतपुर को की जा सकेगी। महापौर दोनो पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करेंगें।

21. अनुमति प्राप्तकर्ता के शपथ पत्र प्राप्त किया जाना:- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्थान की स्वीकृती जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्ता से 100 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर इस शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा इन नियमों में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी ऐसा नही करने पर उसका लाईसेन्स स्वतः निरस्त समझा जा सकेगा।

नगर निगम भरतपुर (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण) अनुज्ञा हेतु लाईसेन्स प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र

प्रपत्र-क

1. तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन विक्रेता पंजीयन/अनुमति अनुज्ञा कानाम ....

2. तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन विक्रेता पंजीयन/अनुमति अनुज्ञा कापता ....

3. आवेदक का नाम ....

4.पता/दूरभाष नम्बर ....

5.(कार्य/निवास/मोबाईल) ....

6.तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन विक्रेता पंजीयन/अनुमति अनुज्ञा का क्षेत्रफल ....

7. आवेदित स्थल पर कुल व्यक्तियो के .... समाहित करने की क्षमता।

8.अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के .... जमा शुल्क की रसीद नम्बर मय दिनांक की फोटोप्रति।

9. नगरीय विकास कर एवं लीज जमा की रसीद नम्बर मय दिनांक ....

10.अन्य विवरण मय नक्शा, तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंसकरण, भण्डारण, वितरण एवं विपरण स्वामित्वकिरायेदारी सम्बन्धी दस्तावेज ....

कृपया उपरोक्त तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन विक्रेता पंजीयन/अनुमति अनुज्ञा का वर्ष .... के लिये अनुज्ञा पत्र जारी करने का श्रम करावें।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:-

पता:-

मोबाईल नम्बर:-

प्रपत्र-ख

तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन विक्रेता पंजीयन/अनुमति/अनुज्ञा का अस्थायी अनुज्ञा-पत्र वर्ष..

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ-पत्र आदि के आधार पर वित्तीय वर्ष ....के लिये उपयोग नगर निगम, भरतपुर के तम्बाकू उत्पादों की बिकी, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन विक्रेता पंजीयन/अनुमति/अनुज्ञा के रूप में करने की अस्थाई अनुज्ञा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों की तम्बाकू उत्पादों की बिकी, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन पर भौतिक जांच में सही पाये जाने के अध्याधीन दी जाती है:-

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता का नाम..

3. फर्म/संस्थान का नाम एवं पता दूरभाष नं...

4. तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन विक्रेता पंजीयन/अनुमति/अनुज्ञा स्थल का कुल क्षेत्रफल...

5. आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों को .... समाहित करने की क्षमता।

6. अग्रिम अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के ....जमा शुल्क की रसीद मय दिनांक की फोटो प्रति।

7. पंजीयन जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक...

8. अनुमति जमा शुल्क की रसीद न. मय दिनांक ....की फोटो प्रति।

9. अन्य विवरण मय नक्शा, तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, प्रसंस्करण, भण्डाकरण, वितरण एवं विपणन विक्रेता पंजीयन/अनुमति/अनुज्ञा............................ स्वामित्व तथा किरायेदारी सबंधी दस्तावेज।

उक्त अनुमति पत्र को स्थाई निर्मित दुकान या संरचना हेतु किसी भी प्रकार की भवन निर्माण स्वीकृति अथवा निर्मित निर्माण अथवा भू-उपयोग का नियमन अथवा भूखण्ड/भवन के स्वामित्व का प्रमाण नही समझा जावेगा।

अस्थाई निर्माण या संरचना अर्थात कियोस्क/थडी/खोखा/ठेला या बूथ इत्यादि के संदर्भ में उक्त अनुमति पत्र भू-स्वामित्व का प्रमाण नही होगा तथा राज्य सरकार एवं नगर निगम द्वारा आवश्यक होने पर उक्त अस्थाई संरचना को हटाने का अधिकार होगा।

दिनांक:

अनुज्ञा प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी

नगर निगम, भरतपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।